

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08/2018

प्रार्थी

भूराराम गोदारा  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

मदनसिंह पुत्र जागसिंह  
जाति राजपूत निवासी वार्ड नं.  
29 पिपलेश्वर महादेव मंदिर के  
पास बालोतरा जिला बाड़मेर  
(मैसर्स माजीसा दूध डेयरी  
कनाना जिला बाड़मेर का  
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से  
2. अप्रार्थी मदनसिंह उपस्थित

निर्णय

दिनांक 8.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.6.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स माजीसा दूध डेयरी, कनाना जिला बाड़मेर प्रातः 11.00 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम मदनसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 29 पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास बालोतरा (फर्म मालिक) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक फ्रीज के खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 50 लीटर आम जनता को विक्रय करने हेतु पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 80/- रूपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 800 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-800 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी-800 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/617/एक्ट/2017/618 दिनांक 04.7.2017 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.800 जाँच रिपोर्ट



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 16.2.2017 को गश्त करते हुए मैसर्स माजीसा दूध डेयरी, कनाना का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के खण्ड में करीबन 50 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। दूध (मिक्स) का नमूना पी.800 जांच में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन है। जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 51 में जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
4. हमने दोनो पक्षों को सुना। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/617/एक्ट/2017/618 दिनांक 4.7.2017 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 800 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मदनसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी मदनसिंह पर 3000/- (अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ति आरोपित



18

की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 8.5.2018 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओ०पी० बिश्नोई )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज तारीख 8.5.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर